

अनुबंध - 1

संकल्प ढांचा -2.0

मौजूदा एमएसएमई ऋण, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण और लघु व्यवसाय ऋण (एमएसएमई के अलावा) के लिए(रु.10 लाख तक के एक्सपोजर वाले मौजूदा ऋण के लिए)

पत्र संख्या: _____

दिनांक: _____

बैंक शाखा का नाम और पता:

सेवा में,

(उधारकर्ता का नाम और पता)

प्रिय महोदय / महोदया,

ऋण खाता संख्या:.....

संकल्प ढांचा-2.0 के तहत 10 लाख रुपये तक की ऋण सीमा का समाधान

दिनांक 05.05.2021 के आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी ऋण(क्रेडिट) सुविधा संकल्प ढांचा-2.0 के तहत समाधान योजना के लिए पात्र हो सकती है। समाधान योजना की अनुमत विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

किश्तों का पुनर्निर्धारण (सावधि ऋणों के मामले में)
पुनर्निर्धारण के तहत ऋण-स्थगन की अवधि (सावधि ऋणों के मामले में)
सीसी/ओडी के अनियमित हिस्से को डब्ल्यूसीटीएल में बदलना
पुनर्मूल्यांकन/अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सुविधाएं
किसी भी अर्जित ब्याज या अर्जित होनेवाले ब्याज का एफआईटीएलमें में परिवर्तन

नोट: उपरोक्त सुविधाएं, बैंक के विस्तृत योजना संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन हैं।

यदि आप संकल्प ढांचा-2.0 के तहत लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप कृपया संकल्प ढांचा-2.0 के लिए विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन 'होम ब्रांच' को (व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से) / ईमेल आईडी के जरिए प्रेषित कर सकते हैं। यदि आप संकल्प ढांचा-2.0 के तहत लाभ उठाना नहीं चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए अनुसार इससे बाहर होने (ऑफ्टआउट) संबंधी अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय,

शाखा प्रबंधक

.....

ऑफ्ट-आउट

मुझे/हमें संकल्प ढांचा-2.0 के तहत सुविधा की आवश्यकता नहीं है और मैं/हम इससे बाहर होने(ऑफ्ट-आउट) का इरादा व्यक्त करता हूँ/करते हैं।

तारीख:

स्थान:

उधारकर्ता का हस्ताक्षर